चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.12.2024 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चंद्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पौष मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,तुलसीघाट,नयापुल,वरिष्ठ आश्रम,लक्ष्मण पहाड़ी,जलेबीवाली गली,बरहा के हनुमान मंदिर, निर्मोही अखाड़ा,टैम्पोस्टैण्ड सीतापुर,यूपीटी तिराहा, रैनबसेरा, बेडीपुलिया एवं परिक्रमा मार्ग का पैदल भ्रमण कर कर डियूटी पर तैनात पुलिस अधीकारी/कर्मियों की ड्यूटी को चेक किया गया तथा सतर्कतापूर्वक डियूटी करने एवं श्रद्धालुओं से विन्रमता पूर्वक व्यवहार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए ।

]

(3). आज दिनाँक 30.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 01 परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रोशनी देवी पत्नी पराविन रैदास निवासी ग्राम चनहट चौकी गनीवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति पराविन रैदास पता उपरोक्त द्वारा शराब पीकर प्रार्थिया को गाली गलौज, मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा न करने तथा पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 शिवसागर दुबे, उ0नि0 राजेश कुमार, व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लकी पुत्र राहुल जमादार निवासी मुल्ला तालाब घोसिया थाना औराई जनपद भदौही को 01 किलो 282 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1 किलो 282 ग्राम सूखा गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1. उ0नि0 शिव सागर दुबे
2. उ0नि0 राजेश कुमार
3. आरक्षी अशोक पाल
4. आरक्षी हेमन्त आर्य
5. आरक्षी चालक पवन यादव